प्रेस नोट
दिनांक 14.04.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 01 हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 111/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109(1)/110/352/ 118(2)/61(2)/3(5) बीएनएस 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 आरोपी हत्याभियुक्त - राजन शुक्ला उर्फचन्द्रमणि शुक्ला पुत्र उदयभान शुक्ला को गोण्डा - उतरौला मार्ग पर बग्गी रोड नहर पुलिया के पास थाना क्षेत्र धानेपुर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी भवनाथ पाण्डेय पुत्र स्व० गंगोत्री पाण्डेय निवासी ग्राम बेलहरी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनका नाती सत्य प्रकाश शुक्ला बग्गीरोड स्थित अनिल ओझा के हास्पिटल न्यू मेडलाइड बग्गीरोड में काम करता है। वहाँ दिनांक 12.04.2026 को ड्यूटी की बात को लेकर विपक्षीगण 1. अनुपम शुक्ला उर्फ अनूप, 2. उदयभान शुक्ला 3. राजन शुक्ला आदि के साथ वाद विवाद हुआ जिस पर नाराज विपक्षीगण द्वारा सत्यप्रकाश तथा सूचना पाकर बीच बचाव करने पहुँचे वादी के पुत्र आनन्द पाण्डेय लोहे की रॉड व चाकू से मारकर घायल कर दिया। दोनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गये जहाँ आनन्द पाण्डेय मृत घोषित कर दिया गया तथा सत्यप्रकाश का इलाज कराया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दो अभियुक्तगण 1. अनुपम शुक्ला उर्फ अनूप, 2. उदयभान शुक्ला को दिनांक 13.04.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 14.04.2026 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त राजन शुक्ला उर्फचन्द्रमणि शुक्ला पुत्र उदयभान शुक्ला को गोण्डा - उतरौला मार्ग पर बग्गी रोड नहर पुलिया के पास थाना क्षेत्र धानेपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजन शुक्ला उर्फचन्द्रमणि शुक्ला पुत्र उदयभान शुक्ला निवासी ग्राम इन्दईकपुरवा मौजा रुद्रगढ़ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 111/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109(1)/110/352/118(2)/61(2)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अरविन्द यादव मय हमराह
2. मु0आ0 फहीमुद्दीन खां
3. मु0आ0 धर्मेन्द्र यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।